

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 06/07/2017

क्रमांक F-5-5/2005/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.11.2015 द्वारा शासकीय महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित की गई है। उक्त आदेशों में संशोधन करते हुए शिक्षा सत्र 2017-18 से शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित द्वितीय बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रमों में सीधी एवं विभागीय सीटों में प्रवेश के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है:-

क	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क (प्रति छात्र)		कुल राशि (प्रति छात्र)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	
1.	बी.एड.	7000/- (1000 (काशनमनी)	6000/-	13000/-
2	एम.एड.	8000/- (1000 काशनमनी)	7000/-	15000/-

शिक्षा सत्र 2017-18 से राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित द्विवर्षीय बी.एड./द्विवर्षीय एम.एड. पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क का विवरण:-

बी.एड. पाठ्यक्रम

क.	मदवार शुल्क का नाम	वर्तमान में निर्धारित शुल्क	संशोधित शुल्क	विशेष
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.व. एवं अन्य अंशदान	600=00	400=00	
2.	मूल्यांकन/जांच परीक्षा, सात्रिक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य	500=00	400=00	
3.	साहित्यिक/सांस्कृतिक क्रियाकलाप	1000=00	500=00	

-----02

